


बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार आपूर्ति सेवा के निम्नांकित आपूर्ति निरीक्षकों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित प्रखंड/स्थान में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है। एतद् संबंधी पूर्व में विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश, यदि कोई हो, तो उसे विलोपित समझा जाय।

क्रमांक	आपूर्ति निरीक्षकों का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन प्रखंड/स्थान	पदस्थापित प्रखंड/स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	पलामू	पुरैनी, मधेपुरा	अकोढीगोला, रोहतास
2	श्री देवेन्द्र मंडल	मधुवनी	परिहार, सीतामढ़ी	बगहा-1, प0 चम्पारण
3	श्री आन्नद सिंह चौधरी	झारखंड	सहार, भोजपुर	चकाई, जमुई
4	श्री कौशल कुमार मंडल	सीतामढ़ी	सचिवालय, मुख्यालय	रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण
5	श्री आलोक कुमार	पटना	गिरियक, नालन्दा	चंडी, नालन्दा
6	श्री रामेश्वर मंडल	दुमका	जगदीशपुर, भागलपुर	इस्माइलपुर, भागलपुर
7	श्री मो0 बरकतुल्लाह हुसैन	बक्सर	शाहपुर, आरा	पटना अनुभाजन
8	श्री प्रकाश	सारण	चेनारी, रोहतास	नासरीगंज, रोहतास
9	श्री ब्रम्हदेव राम	झारखंड	बरहट, बाँका	झाझा, जमुई
10	श्री अजय कुमार शर्मा	पटना	सुगौली, मोतिहारी	सोनवर्षा, सीतामढ़ी
11	श्री मुकेश कुमार विश्वकर्मा	पटना	केसरीया, पूर्वी चम्पारण	चिरैया, पूर्वी चम्पारण
12	श्री दिलीप कुमार मैती	मोतिहारी	ई0 अलिगंज, जमुई	खैरा, जमुई

2. उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों का स्थानांतरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः नये पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


 (विद्युभूषण चौधरी)
 सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-प्र03-स्था0-03-02/2015


8020

खाद्य, पटना/दिनांक-30/06/15

प्रतिलिपि- सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित आपूर्ति निरीक्षकों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्थानांतरित आपूर्ति निरीक्षकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के अन्दर स्थानांतरित प्रखंड/स्थान में योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर दें । यदि किसी को निर्वाचन संबंधी कार्य में लगाया गया है तो निर्वाचन कार्य की समाप्ति के बाद तत्काल विरमित कर दें ।

3. जुलाई, 2015 का वेतन सभी आपूर्ति निरीक्षक नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे ।


30/6/15

सरकार के उप सचिव ।